सजा न सुनाए गए किसी कैदी को अस्पताल में स्थानांतरित करना (पाबंदियों सहित या पाबंदियों के बिना)

(मानसिक स्वास्थ्य कानून 1983 का अनुच्छेद 48)

1. रोगी का नाम	
2. आपकी देखभाल के लिए प्रभारी व्यक्ति का नाम (आपके लिए "ज़िम्मेदार क्लीनिशियन")	
3. अस्पताल और वार्ड का नाम	
4. आपके स्थानांतरण संबंधी निर्देश की तिथि	
5. पाबंदियों संबंधी निर्देश दिए गए?	हां/नहीं

मैं अस्पताल में क्यों हूं?

आपको इस अस्पताल में इसलिए लाया गया है क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जस्टिस को दो डॉक्टरों ने यह सलाह दी है कि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और आपको चिकित्सकीय उपचार के लिए अस्पताल में रखना ज़रूरी है।

सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जस्टिस ने मानसिक स्वास्थ्य कानून 1983 के अनुच्छेद 48 के तहत "स्थानांतरण निर्देश" जारी किया है जो सजा न सुनाए गए कैदी को अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है।

हो सकता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने आपको मानसिक स्वास्थ्य कानून के अनुच्छेद 49 के तहत कोई पाबंदी संबंधी निर्देश भी दिया हो।

पाबंदी संबंधी निर्देश क्या होता है?

यदि आपको पाबंदी संबंधी निर्देश दिया गया होगा, तो इसका अर्थ है कि आपको अस्पताल छोड़कर नहीं जाने दिया जा सकता बशर्ते कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जस्टिस आपको जाने को न कह दे। ऐसी स्थिति में, अस्पताल से आपकी छुट्टी कुछ खास स्थितियों पर निर्भर करती है जिनके बारे में आपको ऐसे समय पर बता दिया जाएगा। जब तक आप अस्पताल में हैं, तब तक आपको अस्थाई छुट्टी देने या किसी अन्य अस्पताल में भेजने से पहले आपकी देखभाल के लिए प्रभारी व्यक्ति (आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन) को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

मैं यहां कितने समय तक रहूंगा?

जब तक आपका स्थानांतरण निर्देश पूरा नहीं होता तब तक आपको अस्पताल में रखा जाएगा।

यदि आपको **मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा रिमांड में लिए जाने के बाद** यहां स्थानांतरित किया गया है, तो :

> जब तक आपको रिमांड में रखने की अवधि समाप्त नहीं होती तब तक आपको अस्पताल में रखा जाएगा, बशर्ते कि आपको मुकदमे के लिए क्राउन कोर्ट को नहीं भेजा जाए *या* आपको मजिस्ट्रेट के कोर्ट द्वारा फिर से रिमांड में न ले लिया जाए (जिस स्थिति में आपको अस्पताल में रहना होगा)। यदि आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन यह कहे कि आपको मानसिक अस्वस्थता के लिए अस्पताल में रखकर उपचार दिए जाने की अब और अधिक आवश्यकता नहीं है, तो मजिस्ट्रेट का कोर्ट स्थानांतरण निर्देश को समाप्त करने का आदेश भी दे सकता है। ऐसे में जब तक न्यायालय आपको जमानत पर रिहा करने का आदेश नहीं देता तब तक आपको हिरासत में वापस जाना होगा।

यदि आपको यहां पर **एक दीवानी कैदी के रूप में या आप्रवासन कानूनों के तहत** स्थानांतरित किया गया है, तो :

> आपको तब तक अस्पताल में रखा जाएगा जब तक कि आपको कैद से रिहा न कर दिया जाए या हिरासत केंद्र से हटा न दिया जाए, बशर्ते कि आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन यह न कहे कि आपको अब उपचार की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको पाबंदी संबंधी निर्देश दिया गया है और आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन का कहना हो कि आपको अब उपचार की ज़रूरत नहीं है, तो आपको कैद या हिरासत केंद्र में वापस भेज दिया जाएगा।

अन्य स्थितियों में :

> आपको तब तक अस्पताल में रखा जाएगा जब तक कि आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन यह न कहे कि आपको अब उपचार की ज़रूरत नहीं है या न्यायालय द्वारा आपके मुकदमे का निर्णय न कर दिया जाए। यदि आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन यह न कहे कि आपको अब उपचार की ज़रूरत नहीं है तो आपको कैद में वापस भेज दिया जाएगा, बशर्ते कि न्यायालय आपको जमानत पर रिहा करने का निर्णय न करे।

क्या स्थानांतरण निर्देश के समाप्त हो जाने के बाद भी मुझे अस्पताल में रखा जा सकता है?

आपके स्थानांतरण निर्देश के समाप्त हो जाने के बाद भी यदि आपको उपचार की ज़रूरत हो, तो आपको मानसिक स्वास्थ्य कानून के किसी अन्य अनुच्छेद के तहत अस्पताल में रखना संभव है। यदि ऐसा हुआ, तो आपको इससे संबंधित एक अन्य पुस्तिका दी जाएगी।

यदि मुझे न्यायालय वापस जाना पड़ा तो क्या होगा?

यदि आप रिमांड पर हैं और अब तक मुकदमे में पेशी नहीं हुई है, तो आपको न्यायालय वापस जाना पड़ सकता है। न्यायालय आपके मुकदमे पर गौर करेगा और मानसिक स्वास्थ्य कानून के अनुच्छेद 37 के तहत अस्पताल को आदेश दे सकता है कि आपको अस्पताल में रखा जाए, या आपको वैकल्पिक सजा दे सकता है। न्यायालय अस्पताल को सिर्फ तभी आदेश दे सकता है जबकि दो डॉक्टर यह कहें कि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और आपको मानसिक स्वास्थ्य कानून के तहत उपचार दिए जाने की ज़रूरत है।

क्या मैं अपील कर सकता हूं?

आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जस्टिस द्वारा आपको किसी अस्पताल में स्थानांतरित करने के निर्णय, मजिस्ट्रेट के कोर्ट द्वारा रिमांड में लिए जाने के खिलाफ कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं।

लेकिन ऐसे लोग हैं जिनसे आप अस्पताल छोड़कर जाने के बारे में पूछ सकते हैं।

यदि आपको पाबंदी संबंधी निर्देश नहीं दिया गया है, तो आप अस्पताल के प्रबंधकों से आपको अस्पताल से जाने देने के लिए कह सकते हैं। आप ऐसा कभी भी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को अस्पताल में रखा जाना चाहिए या नहीं यह फैसला करने के लिए अस्पताल के अंदर गठित एक विशेष समिति के लोग ही अस्पताल के प्रबंधक होते हैं। आपको जाने दिया जाए या नहीं इसका फैसला करने से पहले अस्पताल के प्रबंधक आपसे बात करना चाहते हैं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, तो आप उन्हें इस पते पर लिख सकते हैं :

या आप स्टाफ के किसी सदस्य से अस्पताल के प्रबंधकों के साथ संपर्क बनाने में मदद करने को कह सकते हैं।

भले ही आपको पाबंदी संबंधी निर्देश दिया गया हो या नहीं, पर आप न्यायाधिकरण से यह कह सकते हैं कि आपको अस्पताल में नहीं रखा जाना चाहिए।

न्यायाधिकरण क्या होता है और उससे क्या होगा?

न्यायाधिकरण एक स्वतंत्र पैनल होता है जो यह फैसला कर सकता है कि आपको अस्पताल छोड़कर जाने की अनुमति दी जाए या नहीं। यह आपके साथ और आपको जानने वाले अस्पताल के स्टाफ के साथ एक बैठक करेगा। इस बैठक को “सुनवाई” कहा जाता है। यदि आप चाहें, तो आप किसी अन्य व्यक्ति से सुनवाई में अपनी सहायता करने को आने के लिए कह सकते हैं। सुनवाई से पहले, न्यायाधिकरण के सदस्य आपके और आपकी देखभाल के बारे में अस्पताल की रिपोर्टें पढ़ेंगे। न्यायाधिकरण का कोई सदस्य आपसे बात करने भी आएगा।

मैं न्यायाधिकरण को कब आवेदन कर सकता हूं?

आपके स्थानांतरण का निर्देश दिए जाने के बाद पहले छः महीनों के दौरान कभी भी आप न्यायाधिकरण में एक बार आवेदन कर सकते हैं।

इसके बाद अस्पताल में रहने के दौरान आप अगले छः महीनों में, और फिर प्रत्येक वर्ष में एक बार आवेदन कर सकते हैं।

यदि आपको पाबंदी संबंधी कोई निर्देश नहीं दिया गया है, तो आपका सबसे करीबी रिश्तेदार भी आपके स्थानांतरण निर्देश के बाद की दूसरी छमाही के दौरान और फिर प्रत्येक वर्ष एक बार न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकता/सकती है। इस पुस्तिका में आगे दिया है कि आपका सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है।

यदि आप न्यायाधिकरण में आवेदन करना चाहें तो आप इस पते पर लिख सकते हैं :

The Tribunals Service
PO BOX 8793
5th Floor
Leicester
LE1 8BN फोन 0300 123 2201

आप किसी वकील से अपने लिए न्यायाधिकरण को लिखने और सुनवाई के समय आपकी मदद करने को कह सकते हैं।
अस्पताल और लॉ सोसाइटी के पास इसमें विशेषज्ञता रखने वाले वकीलों की एक सूची है। आपको इस विषय में वकील से सहायता लेने के लिए भुगतान नहीं करना होगा। कानूनी सहायता योजना के तहत यह निःशुल्क है।

यदि न्यायाधिकरण कहे कि मुझे अस्पताल में नहीं रखना चाहिए तो क्या होगा?

यदि न्यायाधिकरण कहे कि आपको अस्पताल में नहीं रखना चाहिए, तो इसका यह मतलब हो सकता है कि आपको कैद या हिरासत केंद्र में वापस ले जाया जाए, बशर्ते कि न्यायाधिकरण ने आपको अस्पताल में रखे जाने की सिफारिश न की हो।

मुझे क्या उपचार दिया जाएगा?

आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन और अस्पताल के स्टाफ के अन्य लोग आपकी मानसिक अस्वस्थता के लिए ज़रूरी किसी उपचार के बारे में आपसे बात करेंगे। अधिकांश स्थितियों में आपको उनकी सलाह माननी होगी।

तीन महीनों बाद, आपकी मानसिक अस्वस्थता के लिए आपको दी जा रही दवाओं या औषधियों के संबंध में विशेष नियम लागू होंगे। यदि आप दवाएं या औषधियां नहीं लेना चाहें, या फिर भले ही उन्हें लेना चाहें लेकिन आप बहुत अधिक अस्वस्थ हो गए हों, तो इस अस्पताल से बाहर का एक डॉक्टर आपसे मुलाकात करने आएगा। यह स्वतंत्र डॉक्टर आपसे और आपको जानने वाले अस्पताल के स्टाफ से बात करेगा। यह स्वतंत्र डॉक्टर इस बात का फैसला करेगा कि आपको कौन–सी दवाएं और औषधियां दी जा सकती हैं। यदि आपात स्थिति आ जाए, तो आपकी सहमति के बिना आपको सिर्फ यही दवाएं और औषधियां दी जा सकती हैं।

स्वतंत्र डॉक्टर को एसओएडी (द्वितीय राय हेतु नियुक्त डॉक्टर) कहा जाता है और उसे एक स्वतंत्र कमीशन द्वारा नियुक्त किया जाता है जो यह निगरानी करता है कि मानसिक स्वास्थ्य कानून का इस्तेमाल कैसे किया गया है।

कुछ विशेष उपचारों, जैसे इलेक्ट्रो–कनवल्सिव थेरेपी (ईसीटी), के लिए भिन्न–भिन्न नियम हैं। यदि स्टाफ को यह महसूस हो कि आपको इन विशेष उपचारों में से किसी एक की ज़रूरत है, तो आपको नियम समझाए जाएंगे और आपको एक और पुस्तिका दी जाएगी।

अपने सबसे करीबी रिश्तेदार को जानें

यदि आपको पाबंदी संबंधी निर्देश नहीं दिया गया है, तो इस पुस्तिका की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसे मानसिक स्वास्थ्य कानून आपका सबसे करीबी रिश्तेदार कहता है।

मानसिक स्वास्थ्य कानून में ऐसे लोगों की एक सूची है जिन्हें आपके रिश्तेदार समझा जाता है। सामान्यतः, उस सूची में सबसे ऊपर मौजूद व्यक्ति आपका सबसे करीबी रिश्तेदार होता है। अस्पताल का स्टाफ आपको एक पुस्तिका दे सकता है जो इस बात को विस्तारपूर्वक बताती है और यह बताती है कि आपकी देखभाल और उपचार के संबंध में आपके सबसे करीबी रिश्तेदार के क्या अधिकार हैं।

आपके मामले में, हमें यह बताया गया है कि आपका सबसे करीबी रिश्तेदार है :

यदि आप नहीं चाहते कि इस व्यक्ति को पुस्तिका की एक प्रति प्राप्त हो, तो कृपया अपने नर्स या स्टाफ के किसी अन्य सदस्य को बताएं।

अपने सबसे करीबी रिश्तेदार को बदलना

अगर आप सोचते हैं कि यह व्यक्ति आपका सबसे करीबी रिश्तेदार होने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आप काउंटी कोर्ट में उसके बजाय किसी अन्य व्यक्ति को अपना सबसे करीबी रिश्तेदार मानने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अस्पताल का स्टाफ आपको एक पुस्तिका दे सकता है जिसमें विस्तार से यह बताया गया है।

आपके पत्र

आपको भेजे गए सभी पत्र आपको दिए जाएंगे। आप किसी भी व्यक्ति को पत्र भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जो कहे कि उन्हें आपसे पत्र नहीं चाहिए। इन लोगों के लिए लिखे जाने वाले पत्रों को अस्पताल का स्टाफ रोक देगा।

कार्यअभ्यास संहिता

कार्यअभ्यास संहिता अस्पताल के स्टाफ को मानसिक स्वास्थ्य कानून और मानसिक अस्वस्थता वाले लोगों का उपचार करने के बारे में सलाह देती है। आपकी देखभाल के बारे में स्टाफ द्वारा कोई भी फैसला लेने से पहले उन्हें संहिता में कही गई बातों पर विचार करना चाहिए। यदि आप चाहें, तो आप संहिता की एक प्रति देखने के लिए कह सकते हैं।

मैं शिकायत कैसे कर सकता हूं?

यदि आप अस्पताल में अपनी देखभाल और उपचार के संबंध में कोई भी शिकायत करना चाहते हैं, तो कृपया स्टाफ के किसी सदस्य से कहें। वे संभवतः मामले का निपटारा कर सकें। वे अस्पताल की शिकायत करने की प्रक्रिया के बारे में भी आपको जानकारी दे सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप स्थानीय प्रशासन के जरिए शिकायत का समाधान निकालने में कर सकते हैं। वे आपको ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में भी बता सकते हैं जो शिकायत करने में आपकी मदद कर सकता हो।

यदि आपको लगता है कि अस्पताल की शिकायत की प्रक्रिया आपकी मदद नहीं कर सकती, तो आप किसी स्वतंत्र कमीशन से शिकायत कर सकते हैं। कमीशन इस बात पर नजर रखता है कि मानसिक स्वास्थ्य कानून का इस्तेमाल कैसे किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका इस्तेमाल सही ढंग से किया गया है

और अस्पताल में रहने के दौरान रोगियों की उचित देखभाल की जाती है। अस्पताल का स्टाफ आपको एक पुस्तिका दे सकता है जिसमें कमीशन से संपर्क करने के बारे में बताया गया है।

अधिक सहायता और जानकारी

यदि अपनी देखभाल और उपचार के बारे में कोई बात आप नहीं समझ पाए हों, तो स्टाफ का एक सदस्य इसे समझने में आपकी मदद करेगा। यदि इस पुस्तिका की कोई बात आप नहीं समझ पाएं हों या यदि आपके कोई ऐसे प्रश्न हों जिनके जवाब इस पुस्तिका में नहीं दिए गए हों तो कृपया स्टाफ के किसी सदस्य से समझाने को कहें।

यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस पुस्तिका की एक और प्रति चाहते हों तो कृपया बताएं।